N.O.C

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या–नि0–2 / एन0ओ0सी0 / / 2014–15 दिनांक 18/10/2014

विषय– सेकेट हार्ट स्कूल सिधौली सीतापुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या–1916 / 15–7–09–1(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई0सी0एस0ई0) नई दिल्ली / सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 10.10.2014 में सेकेट हार्ट स्कूल, सिधौली सीतापुर द्वारा आवेदित प्रकरण पर विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसार संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किये जाने में आपत्ति नहीं है कि भविष्य में संस्था की भूमि स्व0 फादर जेराड़ पेराजीन के किसी वास्तविक या वैधानिक वारिस द्वारा दावा प्रस्तुत किया जाता है तो संस्था दि कैथालिक डायोसेस आफ लखनऊ इसके लिए पूर्ण से जिम्मेदार होगी तथा प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
यह अनापत्ति निम्नांकित प्रतिबन्धों के भी अधीन होगी।

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।
6. कर्मचारियों की सेवा–विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
9. जनहित याचिका संख्या–483 / 2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि

Principal
Sacred Heart School
Ahmadpur Jct. R...

Manager
Sacred Heart School
Ahmadpur Jct, Railway Crossing
Sidhauli - 261303